IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण में लोक कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका

प्रो. गोपाल प्रसाद[1], प्रगति निगम[2]

प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर,

राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश: किसी भी राष्ट्र का उत्थान महिलाओं को सशक्त बनाए बिना संभव नहीं हो सकता है। भारतीय समाज में आरंभ से ही स्त्रियों को उच्च स्थान प्रदान किया जाता रहा है लेकिन कल काम दशा और परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव के कारण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होता रहा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी बहुत से प्रयास किए गए अनेक समाज सुधार को तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रम चलाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के द्वारा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं काम तथा संविधान में स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रावधान किए गए। स्त्रियों शिक्षित और सशक्त बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। सरकार के प्रयत्नों के परिणाम स्वरुप ही आज महिलाओं ने अपने अधिकारों को पहचान पाई है, तथा अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए संघर्ष भी करना सीख ली है, और आज स्त्रियां देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं।

संकेत शब्द **– महिला सशक्तिकरण, लोक कल्याणकारी राज्य, योजनाएँ,**

महिला सशक्तिकरण-

"मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूँ।"- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

महिला सशक्तिकरण की बात समझ में रह-रह कर उठती रहती हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ सामान्य रूप में कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि महिलाओं को किसी वर्ग विशेष कर पुरुष वर्ग का सामना करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है काम जबकि वास्तविक तौर पर महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिला के बाहर जीवन की उपलब्धियां से ही नहीं काम

बल्कि उनमें निहित अंतर नहीं शक्तियों की परिष्कार और उनके संवर्धन से भी है काम जो उनके आत्मिक विकास का माध्यम बनती है। यही आत्मिक विकास हमारे भारतीय मूल्यों का पोषण करता है जिस पर हमारा परिवार और समाज टिका हुआ है। सशक्तिकरण वह है जो प्रत्येक महिला के जीवन को मूल्य से अभी संचित करते हुए उनके व्यक्तित्व का ऐसा परिष्कार करें कम जिससे आध्यात्मिक दृष्टि के साथ-साथ उनमें जीवन के प्रति सही समझ आ सके और उन्हें अपने अस्तित्व का बोध हो सके।[i]

अब महिलाओं के स्थिति में काफी सुधार होता दिख रहा है। अब महिलाएं दमन और उत्पीड़न से मुक्त होकर बाहर आ रही हैं काम और शिक्षा के प्रति जागरूक हुई हैं। क्योंकि शिक्षा यह कैसा सशक्त माध्यम है जो महिलाओं को समझ में सम्मान दिलाने में सहायक हो सकता है। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा ही महिलाओं का सर्वांगीण विकास कर सकती है। देश में आधी आबादी महिलाओं की ही है काम यदि राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति को ध्यान में रखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा उन्नति और अपनी महत्वाकांक्षाओं को यथार्थ में बदलने का ऐसा रास्ता बनाती है जिसका विकल्प विश्व में दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि महिलाएं शिक्षा के महत्व को समझें और शिक्षित हो जाए तो महिला सशक्तिकरण की ऐसी अविरल गंगा भागी जिसमें शिक्षा के समस्त दोस्त बह जाएंगे।[1]

सशक्तिकरण और शिक्षा के बीच सीधा संबंध होता है। आज शिक्षा ही नारी को अंधकार से उजाले की ओर ले जा रही है।[ii]

आज देश के विकास के लिए महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आगे आना होगा। साथ ही उन्हें शिक्षा एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग होना होगा। जब महिलाएं शिक्षित हो जाएगी तो उन पर होने वाले अत्याचार अपने आप रुक जाएंगे। आज महिलाओं को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है यदि महिलाएं अशिक्षित होगी तो हमारा समाज भी अशिक्षित ही रहेगा। जब महिला शिक्षित जागरूक व संस्कारी हो जाएगी तभी वह परिवार समाज व देश की शुद्धि न्यू रख पाएंगे। आज प्रत्येक महिला को यह संकल्प कर लेना चाहिए कि वह शिक्षित वह संस्कारी बने। परिवार समाज देश को यदि खुशहाल बनाना है तो प्रत्येक महिला को ऊपर उठाना ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी स्पष्ट कहा था कि यदि महिलाएं पिछड़ी है तो कोई भी समाज कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता।[1]

भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा से ही शक्ति के रूप में सम्मान मिलता रहा है इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता रहा है कि महिलाएं स्वावलंबी बने तथा इनका सम्मान भी बना रहे इसी के तहत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन समय-समय पर किया जाता रहा है। महिलाओं का राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी के क्रम में सरकार द्वारा महिलाओं का पंचायती राज में भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के उद्देश्य से ही पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई। जब स्त्रियों के लिए 33% सीटों का प्रावधान किया गया था तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही कदम ग्रामीण स्त्रियों के सशक्तिकरण और ग्रामों की स्थिति सुधारने में इतना महत्वपूर्ण बन पाएगा। पिछले कुछ वर्षों का अनुभव यह बताता है कि महिलाओं के द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया और सत्ता में भागीदारी मिलने से स्त्रियों का ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ है।

महिला विकास तथा कल्याण हमारे समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। महिलाएं किसी भी राष्ट्रीय एवं समाज का महत्वपूर्ण भाग होती हैं अतः राष्ट्रीय विकास की समुचित अवधारणा तब तक अपूर्ण है जब तक महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन नहीं किया जाता।[iii]

महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण से जहां एक और समाज की गुणवत्ता एवं विकास दर में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर शैक्षिक विकास से मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा महिला विकास के लिए अधिक प्रयास किया गया है। संविधान के अनुसार अगर देश में एक नए समाज की संरचना करनी है तो जाति धर्म एवं लिंग में भेद किए बिना न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए। संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को अधिकार संपन्न तो बना दिया है परंतु उनके अधिकार संपन्नता के परिणाम तभी दृष्टिगोचर होंगे जब उन्हें महिला विकास के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। बिना ज्ञान के इस संशोधन का लाभ महिला वर्ग को नहीं मिल सकता। शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें योग्यता सामर्थ्य और साहस मिल सकेगा। हमारे राष्ट्र की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उचित ही कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा की अवहेलना करना पाप है साक्षरता से महिलाओं और कमजोर वर्गों को समर्थ बनाना बनाया जा सकता है।[1]

लोक कल्याणकारी राज्य-

लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत राज्य के कार्य क्षेत्र का एक आधुनिक सिद्धांत है। यह शब्द समानता उसे राज्य के लिए अपनाया जाता है जो अपने नागरिकों के लिए केवल न्याय सुरक्षा तथा आंतरिक व्यवस्था करके ही संतोष नहीं कर लेता अपितु उनके कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जीवन के चौमुखी विकास पर ध्यान देता है पूर्ण विरांप राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है।[iv]

लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्य क्षेत्र का इस प्रकार से विस्तार करना होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन ना लगे राज्य के कार्य क्षेत्र के साथ ही व्यक्ति का भी अपना स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हो। वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पश्चिमी प्रजातंत्र और साम्यवादी अधिनायक तंत्र दोनों से ही भिन्न है। पश्चिमी प्रजातंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसके अंतर्गत नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है इसके विपरीत आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित साम्यवादी अधिनायक तंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच समंजस्य का सफल प्रयास है।[1]

आधुनिक विश्व के प्रत्येक देश में चाहे वह एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देश हो या यूरोप के आधुनिकतम औद्योगिक रूप में विकसित देश लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सर्वाधिक लोकप्रिय है। राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में व्यक्तिवादियों की विचारधारा आधुनिक युग में एकदम अब व्यावहारिक और प्रासंगिक हो गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार करती है। राज्य व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करें लोक कल्याणकारी राज्य का यही प्रमुख साध्य माना जा सकता है। यूनानी विचारों में अरस्तु को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सर्वप्रथम राज्य की उपयोगिता का वर्णन किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए निरंतर बना हुआ है। श्रेष्ठ एवं सुखी जीवन मनुष्य का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति राज्य द्वारा की जाती है।[v]

लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य लोगों के समग्र विकास तथा सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हुए अवसर की समानता स्थापित करना होता है।

सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली कुछ योजनाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है तभी हमें सही आंकड़े का पता चल पाएगा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके द्वारा महिलाओं के विकास में कितनी वृद्धि हुई है।

1-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

2-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

3-सुरक्षित मातृत्व आश्वासन समान योजना

4-फ्री सिलाई मशीन योजना

5-महिला शक्ति केंद्र योजना

6-सुकन्या समृद्धि योजना

1-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-

भारतीय ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐतिहासिक कदम है इस योजना की शुरुआत 1 में 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया। इस योजना ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला को मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना वायु प्रदूषण में कमी एवं स्वास्थ्य संवर्धन करना है। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक ईंधन का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है जिससे वायु प्रदूषण एवं विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए सब्सिडी देती है। जिससे उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सके। इस योजना का महिलाओं के सशक्तिकरण एवं एक स्वस्थ समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है स्वच्छ ईंधन का प्रयोग पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है।[1]

ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा था जिसे 3 साल में यानी की 2019 तक पूरा किया जाना था बाद में इस योजना का लक्ष्य 2020 तक 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का रखा गया।[vi]

इस योजना को लागू करने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना स्वच्छ ईंधन प्रदान करना परंपरागत ईंधन के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बचने के लिए तथा वायु प्रदूषण कम करने के एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए।[1]

इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है जिससे कि आप यह स्वच्छ एवं दुआ रहित ईंधन का प्रयोग कर रही हैं। इस योजना के लागू होने से गांव की महिलाओं का जो समय ईंधन लकड़ी और गोबर के उपले इकट्ठा करने में बर्बाद होता था अब वह अपना समय किसी अन्य सामाजिक आर्थिक कार्य में लगा सकती हैं। जिससे उनके सामाजिक स्तर में भी सुधार होगा। गांव की महिलाओं को पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी उपले आदि से भोजन बनाते समय धुएं का सामना करना पड़ता है जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी फेफड़ों से संबंधित आंख से संबंधित और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता था। धुएं का वृद्धि लोगों गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान कर उन्हें धुएं भरी जिंदगी से स्वतंत्रता दिलाई है। यह योजना गरीब महिला के लिए वरदान साबित हुई है। अब महिलाओं को भोजन पकाने से जो समय बचता है उसेवह अपने जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा सकती हैं जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है। इस योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस योजना ने न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान किया है बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में हमारी मदद की है। महिलाओं भोजन पकाने में न सिर्फ आसानी हुई बल्कि उन्हें धुएं में भोजन पकाने और लकड़ी गोबर के उपले बने जैसे पारंपरिक ईंधन को भी एकत्रित करने से भी मुक्ति मिल गई है। स्वस्थ समाज एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाने में इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस योजना ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे को सही चरितार्थ कर दिया है यह योजना गरीब परिवार में रोशनी बनकर आई है। इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। योजना बहुत अच्छी है पर जमीनी स्तर पर कुछ भी समस्याएं इसे लागू करने में आ रही हैं।[vii]

2-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत किया गया। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में लड़कियों को बचाने और बालिकाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। इस योजना को सबसे पहले विशेष रूप से हरियाणा से इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि इस राज्य का लिंगानुपात पूरे देश में सबसे कम है। 1000 पुरुषों पर मात्र 775 महिला। इस योजना का उद्देश्य देश भर में लड़कियों की स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के द्वारा देश में रही लिंगानुपात में गिरावट को रोकना है। यह देश में महिला की स्थिति में सुधार तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। इस योजना को तीन मंत्रालयों के द्वारा पहल किया गया है-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के दो मुख्य कारण हैं।

कम लिंगानुपात को सुधारना-

0 से 6 वर्षों के बाल लिंगानुपात 2001 जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालको पर 933 बालिका थी जो की 2011 जनगणना में घटकर प्रति 1000 बालको पर 918 बालिका रह गई। लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य सरकार द्वारा इस योजना की पहल की गई।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध-

पोस्ट अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। लड़कियों के प्रति इस प्रकार के भेदभाव के कारण ही महिला की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। अपराध और यौन शोषण भी लगातार बढ़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक सहयोगात्मक पहल है इस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है इस योजना में भारत सरकार के सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं।

इस योजना के कुछ उद्देश्य हैं-

कन्या भ्रूण हत्या को रोकना

प्रत्येक बालिका का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना

प्रत्येक बालिका को सुरक्षित और संरक्षित करना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में बालिकाओं से जुडे मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार की एक पल है। योजना के तहत यह पहला अब सकारात्मक संदेश देने लगी है। क्योंकि इस योजना के द्वारा लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए अब लोगों को समझ में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए गंभीरता से कम करना पड़ेगा। इस योजना की सफलता से देश की आर्थिक वृद्धि में तीव्र विकास होगा क्योंकि भारत की आधी आबादी को उपेक्षित करके देश का तीव्र विकास नहीं किया जा सकता है।[1]

3-सुरक्षित मातृत्व आश्वासन समान योजना-

भारत सरकार द्वारा मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जिसे संक्षिप्त में सुमन कहा जाता है प्रारंभ किया गया। भारत में मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है ऐसी गंभीर विषय को कम करने तथा बेहतर स्वास्थ्य उपाय का को बढ़ावा देने के लिए ही सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत सरकार द्वारा किया गया है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक मातृत्व लाभ का पहला है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिला बीमार नवजात शिशुओं और माता को प्रसव के 6 महीने बाद तक जीरो वह की सुविधा मिलती है। माताएं और शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों और श्रेष्ठ डॉक्टर से उपचार प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का उद्देश्य-

1-यह योजना गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद जटिलताओं का पता लगाने और प्रबंधन के लिए जीरो खर्च की सुविधा प्रदान करती है।

2-गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक मुफ्त परिवहन की सुविधा भी प्राप्त होती है और प्रसव के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिलने पर उनका घर तक वापस छोड़ जाता है।

3-सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेवाओं से इनकार करने के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करती है।

4-गर्भवती महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर शून्य व्यय प्रसव और सी सेक्शन सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।

5-यह पहला स्तनपान के लिए गोपनीयता और समर्थन के साथ सम्मानजनक देखभाल की सुविधा प्रदान करती है।

6-बीमार नवजात शिशुओं और नवजात शिशुओं के लिए सेवाएं और टीकाकरण जैसी सुविधाएं शून्य लागत और प्रदान की जाती हैं।[viii]

4-फ्री सिलाई मशीन योजना-

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं के तहत फ्री सिलाई मशीन योजना की भी शुरुआत की गई है इस योजना के तहत महिलाएं अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए मुफ्त में सिलाई मशीन ले सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगारों के प्रति प्रेरित करने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। इस योजना के तहत गरीब और कामकाजी महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है। महिलाएं फ्री सिलाई मशीन को प्राप्त करके घर पर बैठे ही अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकती हैं। जिससे कि वह अच्छी खासी आमदनी भी अर्जित कर सकती हैं और अपने परिवार का अच्छी तरीके से भरण पोषण भी कर सकती हैं। सरकार के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है इसलिए महिलाएं भी पुरुषों के समान ही कम कर सकती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। बहुत ऐसे गरीब परिवार की महिलाएं जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और बहुत ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको सिलाई का काम तो आता है लेकिन उनके पास सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं रहता है। सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना ऐसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही हैं।फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 50000 से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना उन्हें रोजगार के प्रति उत्साहित करना है इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को बहुत फायदा होगा तथा उनकी स्थिति में भी काफी सुधार होने की संभावना है। इस योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष की महिलाएं सरकारी पोर्टल पर आवेदन करके प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला के पति की वार्षिक आय ₹12000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं विधवा और विकलांग महिलाओं को भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

5-महिला शक्ति केंद्र योजना-

वित्त मंत्री के बजट भाषण 2017-18 में कौशल विकास रोजगार डिजिटल साक्षरता स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक वन स्टाफ अभिसरण समर्थन सेवाएं प्रदान करने हेतु महिला शक्ति केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई। तथा अनुसार अंब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत महिला शक्ति केंद्र नामक एक नई अप योजना को वर्ष 2017 में शुरू किया गया। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकार से अपने अधिकार प्राप्त करने और जागरूकता सृजन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करेगी। छात्र स्वयंसेवक शैक्षिक समुदाय सेवक और लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करेंगे। यह छात्र स्वयंसेवक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और इससे उनके समुदायों तथा राष्ट्र पर स्थाई प्रभाव पड़ेगा। नई योजना महिला शक्ति केंद्र के लिए परिकल्पना की गई है कि यह विभिन्न स्तरों पर कम करें। राष्ट्रीय स्तर डोमेन आधारित ज्ञान संवर्धन और राज्य स्तरीय महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्रसंरचनाएं जहां संबंधित सरकारों को महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करेगी वहीं जिला और ब्लॉक स्तरीय केंद्र महिला शक्ति केंद्र को सहायता प्रदान करेगी और चरणबद्ध तरीके से कर किए जाने हेतु 640 जिलों में महिला सशक्तिकरण स्कीमों को अपना अस्तित्व बनाने के लिए आधार प्रदान करेंगे। महिला शक्ति केंद्र ब्लॉक स्तरीय पल के एक हिस्से के रूप में छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से 115 सबसे पिछले जिलों में समुदाय को विनियोजित करने की परिकल्पना की गई है। छात्र स्वयंसेवक विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों जिनका निर्दिष्ट ब्लॉक या समतुल्य प्रशासनिक इकाई जहां ऐसे ब्लॉक न हो में महिलाओं के जीवन पर प्रभाव है कि बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक भूमिका निभाएंगे।महिला सशक्तिकरण बहुआयामी है और महिला शक्ति केंद्र के तहत प्रदान की गई सेवाएं जिला ब्लाक स्तर पर सरकार की विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों के उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने पर काम करेगी। छात्र स्वयंसेवक ब्लॉक स्तरीय हस्त सचिव के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण निमित सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता सृजन का काम करेंगे। वे ग्रामीण महिलाओं को अपने पत्र हक प्राप्त करने के लिए सरकार से संपर्क कर सकते हेतु इंटरफेस प्रदान करेंगे। तदनुसार इस योजना के तहत राष्ट्रीय राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर मेकैनिज्म प्रदान किए गए हैं। यह योजना राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।[1]

6-सुकन्या समृद्धि योजना-

सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत स्कीम है। भैया योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस योजना में बेटियों की शिक्षा और उनकी शादी के लिए भविष्य में होने वाले खर्चों की पूर्ति करने में सहायक होगी। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता-पिता बालिका का खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत 1 वर्ष में न्यूनतम 250 रुपया और अधिकतम 150000 रुपए प्रतिवर्ष जमा किया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अब 7.6 प्रतिशत ब्याज का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि इनकम टैक्स कानून के क्षेत्र सी के तहत कर में छूट मिलता है। पैसे को चेक नेट बैंकिंग नगद या ड्राफ्ट किसी भी माध्यम से जमा किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 15 वर्ष तक पैसा जमा करना पड़ता है उसके बाद अगले 6 वर्ष तक कोई भी पैसा जमा नहीं करना होता है लेकिन ब्याज दर जुड़ती रहती है। खाते क्यों 21 वर्ष पूरा होने पर कल पैसा ब्याज सहित उसे बालिका को वापस मिल जाता है जिसके नाम पर खाता खुला होता है। 21 वर्ष की परिपक्वता

अवधि पूरी होने के पहले खाता धारी बालिका जमा राशि को निकाल सकती है बशर्ते कि उसे बालिका की आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो गई हो। इस स्थिति में बालिका कुल जमा राशि का अधिकतम 50% तक ही निकल सकती है।इसके लिए यह भी जरूरी है कि निकल जाने वाली राशि या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो या फिर शादी के लिए हो। यह भी आवश्यक है की राशि निकालने के समय खाते में कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक की जमा मौजूद हो। माता-पिता बालिका के नाम से केवल एक ही खाता खोल सकते हैं और केवल दो लड़कियों के नाम से ही अलग-अलग खाता खोला जा सकता है। यदि पहले एक लड़की हो और उसके बाद जुड़वा लड़कियां पैदा हो या पहली बार में ही तीन लड़कियां पैदा हो तो ऐसी स्थिति में तीनों लड़कियों के नाम से बैंक खाता खोला जा सकता है।[ix]

निष्कर्ष-

भारत में शिक्षा एवं संचार के साधनों के कमी के कारण ग्रामीण महिलायो तक सभी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंच नहीं पाता है। लेकिन सरकार द्वारा अब योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक कार्यान्वित करने के लिए अधिक प्रयास किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि सरकार के द्वारा आजकल जितनी भी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं उसका अत्यधिक प्रसार हुआ है और इसको क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रसारित किया जा रहा है। जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसी का नतीजा है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी की चुनौती दे रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

---

[i] शर्मा, आशा, अवलोकन की परिधि में मूल्योंमुख शिक्षा, समाज कल्याण, 2011, पृ. 8.

[ii] वही.

[iii] व्यौहार, प्रभाकर, शिक्षा और आदिवासी महिलाएं, समाज कल्याण, 2004, पृ. 28.

[iv] गाबा, ओ.पी., विवेचनात्मक राजनितिक कोष, मयूर पपेरवैक्स, नोएडा, 2012, पृ. 292-93.

[v] वही, पृ. 83.

[vi] वही, पृ. 3590.

[vii] वही, पृ. 3591

[viii] केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

[ix] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.